जीसीएमएस नबंर:–2014/00114

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी: सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0

57/2014

1. जसवन्त सिंह पुत्र श्री अर्जन सिंह , जाति रायसिख निवासी चक मनफूलसिंह –वाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. सरपंच, ग्राम पंचायत चक मनफूलसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्व नोटिस ग्राम पंचायत चक मनफूलसिंहवाला पंचायत समिति सादुलशहर क्रमांक 06 दिनांक 22.11.2014 के विरूद्व पेश की गई है।

उपस्थित :–

1. श्री प्रदीप सिहाग अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री बलकरण सिंह बराड़ अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता

:: आदेश :: दिनांक: 19.05.2026

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि :–

1. यह कि प्रार्थी चक मनफूलसिंहवाला में गत् 30 वर्षो से मकान आबादी भूमि में बनाकर परिवार सहित निवास कर रहा है। प्रार्थी चक मनफूलसिंहवाला में खेती और मजदूर के रूप में कार्य करता है। प्रार्थी के पास कोई कृषि भूमि नहीं है। प्रार्थी के परिवार के सदस्य भी मजदूरी का काम करते है।
2. यह कि प्रार्थी आबादी भूमि में गत् 30 वर्षो से भूखण्ड साईज 30X50 पर चारदीवारी , तीन कमरे, एक पानी की डिग्गी, एक स्नानघर व कुई–शौचालय बनाकर निवास कर रहा है जिसमें जल का कनैक्शन भी स्थापित है। प्रार्थी के भूखण्ड के उत्तर दिशा में सड़क आम है, पूर्व दिशा में रामप्रताप का मकान, पश्चिम में गली तथा दक्षिण में साहब राम का मकान है।
3. यह कि प्रार्थी के आस–पड़ौस के जो मकान है, उनको कब्जा के आधार पर पट्टे बनाकर सरपंच ने वर्तमान समय में दिये है। प्रार्थी ने भी कब्जा के आधार पर अपने उक्त भूखण्ड का निःशुल्क पट्टा बनवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसका कोई निर्णय ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि प्रार्थी को अहाता संख्या 102 राजकीय माध्यमिक

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

विद्यालय , चक मनफूलसिंहवाला पर कब्जा बताकर बेदखल करने का आदेश दिया है, जबकि प्रार्थी का कब्जा न तो राजकीय विद्यालय की भूमि पर है ,जो वर्तमान समय में गांव के उत्तर दिशा में बना हुआ है तथा मौके पर कार्यरत है। इसलिये प्रार्थी को दिया गया नोटिस विधि विरूद्ध एव तथ्यात्मक रूप से गलत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

4. यह कि ग्राम पंचायत चक मनफूलसिंहवाला ने प्रार्थी को जो नोटिस दिनांक 22.11.2014 को दिया है, वह नोटिस अवकाश के दिन दिया गया है। नक्शा आबादी में अहाता संख्या 102 दर्ज ही नहीं है। केवलमात्र प्रार्थी को तंग व परेशान करने हेतु द्वेष भावना से यह नोटिस दिया गया है।

अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत मनफूलसिंहवाला , तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थी को प्रेषित नोटिस दिनांक 22.11.2014 निरस्त फरमाया जावें एवं निगरानी स्वीकार कर अप्रार्थी को निर्देश दिया जाये कि वह प्रार्थी , जो कि एक खेतीहर मजदूर है, जिसके पास अन्य कोई आवासीय भूखण्ड नहीं है को उसके कब्जाधीन भूखण्ड का कब्जा के आधार पर निःशुल्क आवंटन आदेश जारी करें। अन्य कोई न्यायसंगत आदेश जो माननीय न्यायालय प्रार्थी के पक्ष में उचित समझे, प्रदान किया जावें।

निगरानी से सबंधित मूल रेकार्ड ग्राम पंचायत से तलब किया गया। निगरानीकर्ता के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि, प्रार्थी/निगरानीकर्ता चक मनफूलसिंहवाला में गत् 30 वर्षो से आबादी भूमि में मकान बनाकर परिवार सहित निवास कर रहा है। प्रार्थी/निगरानीकर्ता के परिवार के सदस्य भी मजदूरी का काम करते है। प्रार्थी/निगरानीकर्ता आबादी भूमि में गत् 30 वर्षो से भूखण्ड साईज 30X50 पर चारदीवारी , तीन कमरे, एक पानी की डिग्गी, एक स्नानघर व कुई–शौचालय बनाकर निवास कर रहा है जिसमें जल का कनैक्शन भी स्थापित है। प्रार्थी/निगरानीकर्ता के भूखण्ड के उत्तर दिशा में सड़क आम है, पूर्व दिशा में रामप्रताप का मकान, पश्चिम में गली तथा दक्षिण में साहब राम का मकान है। प्रार्थी के आस–पड़ौस के जो मकान है, उनको कब्जा के आधार पर पट्टे बनाकर सरपंच ने वर्तमान समय में दिये है। प्रार्थी/निगरानीकर्ता ने भी कब्जा के आधार पर अपने उक्त भूखण्ड का निःशुल्क पट्टा बनवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसका कोई निर्णय ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि प्रार्थी को अहाता संख्या 102 राजकीय माध्यमिक विद्यालय , चक मनफूलसिंहवाला पर कब्जा बताकर बेदखल करने का आदेश दिया है, जबकि प्रार्थी का कब्जा न तो राजकीय विद्यालय की भूमि पर है। मेरा मकान वर्तमान

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

समय में गांव के उत्तर दिशा में बना हुआ है तथा मौके पर कार्यरत है। इसलिये प्रार्थी को दिया गया नोटिस विधि विरूद्ध एव तथ्यात्मक रूप से गलत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार कर प्रार्थी/निगरानीकर्ता को दिया गया नोटिस दिनांक 22.11.2014 निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता गैरनिगरानकर्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि निगरानीकर्ता को अहाता संख्या 102 राजकीय माध्यमिक विद्यालय, चक मनफूलसिंहवाला पर कब्जा बताकर बेदखल करने जो नोटिस दिनांक 22.11.2014 दिया गया है वह सही जारी किया गया है क्योंकि निगरानीकर्ता द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालय , चक मनफूलसिंहवाला की भूमि अतिक्रमण किया हुआ है। जिसके सम्बन्ध में मौका पर उक्त विवादित भूमि से सम्बन्धित कोई रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। निगरानीकर्ता को नोटिस अतिक्रमी मानते हुए दिया गया है जो विधिसम्मत् है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज फरमाई जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया गया।

निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी नोटिस दिनांक 22.11.2014 के विरूद्व पेश की है जो निगरानकर्ता को अहाता संख्या 102 राजकीय माध्यमिक विद्यालय, चक मनफूलसिंहवाला पर कब्जा बताकर बेदखल करने बाबत दिया गया है। अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी में यह कथन किया है कि उक्त विवादित भूखण्ड साईज 30X50 पर चारदीवारी , तीन कमरे, एक पानी की डिग्गी, एक स्नानघर व कुई–शौचालय बनाकर निवास कर रहा है जिसमें जल का कनैक्शन भी स्थापित है, परन्तु वर्ष 2014 से लेकर आज दिनांक तक ऐसा कोई तथ्य/साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि उक्त विवादित भूखण्ड पर चारदीवारी, तीन कमरे, एक पानी की डिग्गी, एक स्नानघर कुई–शौचालय बने हो व पानी का कनैक्शन लिया गया हो। इससे यह प्रमाणित होता है कि निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी में तथ्य अंकित किये है वह सत्य नहीं है। फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है। आदेश की प्रति मय रेकॉर्ड ग्राम पंचायत को पालनार्थ भिजवायी जावें।

आदेश आज दिनांक 19.05.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner